आदेश

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्याः–469/VII-A-1/2023/09 (05)/2023, दिनांकः–22 मार्च, 2023 के माध्यम से मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्याः–17/रमेश लाल @ रमेश कब्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांकः–16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का निम्नवत गठन किया गया है।

उक्त के अनुपालन में जनपद चम्पावत हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) निम्नानुसार गठित किया जाता हैः–

1– जिलाधिकारी, चम्पावत – अध्यक्ष।
2– पुलिस अधीक्षक, चम्पावत – सदस्य।
3– प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत – सदस्य।
4– प्र. खान अधिकारी, चम्पावत – सदस्य।
5– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर – सदस्य।
6– डा. बी.डी. सुतेडी, सेवानिवृत्त प्रवक्ता, रा.स्ना.महा.वि. पिथौरागढ निवासी शान्त बाजार, चम्पावत (पर्यावरण प्रेमी) – सदस्य।

इसके अतिरिक्त उक्त के अनुपालन में परगना स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु परगना स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल निम्नानुसार गठित किया जाता हैः–

1– सम्बन्धित उपजिलाधिकारी – अध्यक्ष।
2– सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी – सदस्य।
3– सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी – सदस्य।
4– प्र. खान अधिकारी, चम्पावत – सदस्य।
5– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर – सदस्य ।
6– सम्बन्धित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान– – सदस्य ।

उक्त जिला स्तरीय/परगना स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम की कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से समय–समय पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(नरेन्द्र सिंह भण्डारी)
जिलाधिकारी,
चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी, चम्पावत।

संख्याः–3698/तीस–खनन/2022–23, दिनांकः– मार्च 29 ,2023,

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत/तराई पूर्वी हल्द्वानी/ हल्द्वानी।
3– समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद चम्पावत।
4– पुलिस क्षेत्राधिकारी, चम्पावत/टनकपुर।
5– प्र. खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद चम्पावत।
6– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर।
7– उपरोक्त समिति के नामित सदस्य, द्वारा– सम्बन्धित तहसीलदार, जनपद चम्पावत।

जिलाधिकारी,
चम्पावत।